न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.48 / अपील / 2022 (GCMS No. 2022 / 89)	12.07.2022	30.09.2024

दुर्गालाल आ. नन्दा जाति मीणा,
निवासी ग्राम भीमपुरिया, तहसील व जिला बून्दी (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

1. गोमदी बाई बेवा नन्दा जाति मीणा, निवासी भीमपुरिया तह. बून्दी
2. दुर्गी बाई पुत्री नन्दा जाति मीणा, निवासी भीमपुरिया तह. बून्दी
3. बाबूलाल पुत्र नन्दा जाति मीणा, निवासी भीमपुरिया तह. बून्दी
4. सुखदेव पुत्र नन्दा जाति मीणा, निवासी भीमपुरिया तह. बून्दी
5. सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री शिवराज डोई, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3, 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 02.10.2020 ग्राम भीमपुरियां से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार नन्दा आ. मोती जाति मीणा के फोत हो जाने पर उसकी वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 48/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/89 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1, 2, 3, 4 के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 331/84 रकबा 0.1923 हैक्टेयर, ख.सं. 323/269 रकबा 0.0769 हैक्टेयर, ख.सं. 328/303 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, ख.सं. 361/355 रकबा 0.1923 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7691 हैक्टेयर वाकेग्राम भीमपुरिया, तहसील व जिला बून्दी में विस्थित है। जिसका पूर्व में खातेदार नन्दा आ. मोती जाति मीणा निवासी भीमपुरिया था। खातेदार नन्दा द्वारा दिनांक 07.05.2018 को अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र निष्पादित करवा दिया था, जिसमें रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर उक्त कृषि भूमि अपीलांट के नाम नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 25.07.2018 से खातेदारी में दर्ज हो गई थी। तब से ही अपीलांट उक्त आराजी पर खातेदार की हैसियत से काश्त कार्य करता चला आ रहा है। इसके बाद रेस्पो.सं.6 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 02.10.2020 को नन्दा को मृतक बताकर उक्त कृषि भूमि का विरासत का इंतकाल अपीलांट व रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के नाम तस्दीक कर दिया गया, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त कृषि भूमि पर पूर्व में ही रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर अपीलांट खातेदार बन चुका है। नन्दा उक्त भूमि का खातेदार न होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि की खातेदारी की जांच किये बिना ही नन्दा के वारिसानों के नाम विरासत का इंतकाल खोलकर भारी कानूनी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना खोला गया अधीनस्थ न्यायालय का उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.06.2022 को अपने खाते की नकल निकलाने पर हुई। तब अपीलांट द्वारा दिनांक 21.06.2022 को आवेदन पत्र पेश किया जाकर दिनांक 27.06.2022 को नकल प्राप्त होते अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत की गई। फिर भी यदि किसी कारणवश देरी मानी जावे तो न्यायहित में देरी कन्डोन फरमाने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 25.07.2018 रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दानगृहिता दुर्गालाल के पक्ष में तस्दीक किया गया। तदोपरान्त खातेदार नन्दा वल्द मोती के खाते में खसरा सं.355/325 मिन रकबा 1 बीघा भूमि ही शेष मौजूद रही है। ऐसे में सम्पूर्ण 6 बीघा पर नन्दा आ. मोती का फोती नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जाना दस्तावेजी साक्ष्य से ही दोषपूर्ण प्रकट होने से उक्त नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 02.10.2020 की दिनांक 20.06.2022 को जानकारी होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर दिनांक 30.06.2022 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम भीमपुरिया के खाता सं. 33 में अंकित आराजी किता 4 कुल रकबा 6 बीघा नन्दा वल्द मोती कौम मीना की खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार नन्दा आ. मोती मीना के फोत हो जाने पर उक्त आराजी का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 16.09.2020 को दर्ज कर दिनांक 02.10.2020 को उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है।

पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 07.05.2018 का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट है कि खातेदार नन्दा आ. मोती द्वारा दुर्गालाल आ. नन्दा को जर्ये रजिस्टर्ड दानपत्र अपने खाते की 6 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि का दान कर दिया था तथा उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर उक्त कृषि भूमि नामान्तरकरण सं. 300 दिनांक 25.07.2018 से दानगृहिता दुर्गालाल आ. नन्दा के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गई थी। तत्पश्चात खातेदार नन्दा आ. मोती के खाते में खसरा सं. 355/325 मिन रकबा 1 बीघा भूमि ही शेष रही है। इसके बावजूद सम्पूर्ण 6 बीघा भूमि पूर्व खातेदार नन्दा आ. मोती के खाते में पुनः अंकित की जाकर खातेदार नन्दा का विरासत का नामान्तरकरण सं. 329 दिनांक 02.10.2020 उसके सभी वारिसान के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया है,जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकटतया ही विधिविरूद्ध है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरण को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील आंशिक रूपसे स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 329 दिनांक 02.10.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 07.05.2018 एवं नामान्तरकरण सं. 300 दिनांक 25.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में सभी हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर सहखातेदार दुर्गालाल एवं सहखातेदार नन्दा के हिस्से का निर्धारण करते हुये, मृतक सहखातेदार नन्दा आ. मोती के निहित हिस्से पर विरासत नामान्तरकरण बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)